20/12/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब नाम	प्रतिवादी
पवन कुमार पुत्र नाथूराम मेघवाल सा. मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 204 /2022 GCMS No. 2022/400

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.12.2022	वादी/प्रार्थी पवन कुमार पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम मांगलोदी पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 58, 129, 130, 131, 137 प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **पूर्णमल पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल सा. देह अन्य सहखातेदारान के साथ** दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम **पवन कुमार पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल सा. मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी** इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 405961029076, मतदाता पहचान पत्र GSR/1397785, राशन कार्ड 00045, जन आधार कार्ड 4842614025, की **छाया प्रति** प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **सरगोठ** भू.अ.नि **मण्डावरा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त अशुद्वि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2023.02.13 14:33:23 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	